

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई
(ओ0 20 रू0 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम महवा जिला दौसा(राज0)
पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जर आर0ए0एस

मुकदमा नं0 76/2022

1. राजसिंह मीना पुत्र रूप राम
2. राजवीरसिंह पुत्र रूपराम
3. लसनी देवी पत्नि रूपराम
4. मानूलाल मीना पुत्र शिवदयाल
5. समन्दरसिंह मीना पुत्र शिवदयाल
6. प्रेमदेवी पत्नि शिवदयाल
7. नेमीचन्द पुत्र मूल्या

जाति मीना निवासी
ओण्ड मीना तहसील महवा
जिला दौसा


— वादीगण

बनाम

1. प्रताप मीना पुत्र मिश्रया
2. रज्जो पुत्री मिश्रया आयु
3. बिशनी पुत्री मिश्रया
4. सुनीता पुत्री मिश्रया
5. समयसिंह पुत्र मिश्रया

जाति मीना निवासी ओण्डमीना
तहसील महवा जिला दौसा

6. जल्लो पुत्री रामखिलाडी पत्नि धनसी जाति मीना निवासी मूंडरी
तहसील हिण्डौन जिला करौली
7. हसनी पुत्री रामखिलाडी पत्नि लालजी जाति मीना निवासी बौल तहसील
टोडाभीम जिला करौली
8. केशन्ती पुत्री रामखिलाडी पत्नि नहनजी जाति मीना निवासी बौल तहसील
टोडाभीम जिला करौली
9. अनोखी पुत्री रामखिलाडी पत्नि हरीसिंह जाति मीना निवासी आखावाडा
तहसील श्रीमहावीर जी जिला करौली
10. गल्ला पुत्री रामखिलाडी पत्नि मुकन्दा जाति मीना निवासी
आखावाडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली


उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

11. उप पंजीयक महोदय महवा जिला दौसा
12. राज.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा
-असल प्रतिवादीगण

13. फूलचन्द पुत्र रामखिलाडी
14. रामनिवास पुत्र रामखिलाडी
15. जगनी पत्नि रामकिशोर
16. नगेन्द्र पुत्र रामकिशोर
17. अंकेश पुत्र रामकिशोर
18. फूलवती पत्नि मोहरपाल
19. राकेश मीना पुत्र मोहरपाल
20. प्रीतम उर्फ पिण्डू पुत्र मोहरपाल
21. कुंजीलाल मीना पुत्र रामजीवन
22. रूपचन्द मीना पुत्र रामजीवन.

समस्त जाति मीना निवासी
ओण्ड मीना तहसील महवा
जिला दौसा

- प्रतिवादीगण

दावा वांत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज
दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ लाखनसिंह
आर०ए०एस०व हाजिरी वकील वादीगण धर्मसिंह राजपूत मि
एकपक्षीय मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि
आज्ञा है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत
डिक्री किया जाकर ग्राम ओण्ड मीना तहसील महवा जिला दौसा
आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 0.34 हैक्टयर का वादीगण को
पूर्वज मूल्या को प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/6 भाग का खातेदार का
घोषित फरमाते हुये वादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/18 भाग का
वादी संख्या 4 लगायत 6 को 1/18 भाग का तथा वादी संख्या 7
1/18 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा त
प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 के पूर्वज रामखिलाडी को प्राप्त होने
हिस्सा 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे त
प्रतिवादी 13 को 1/18 भाग का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को 1/
भाग का, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 17 को 1/18 भाग

उपसद अधिकारी
महवा जिला दौसा

खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 के पूर्वज मोहरपाल को प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को उनके पूर्वज रामजीलाल उर्फ रामजीवन पुत्र जयलाल को प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसके साथ वर्तमान खातेदारी में दर्ज खातेदार प्रताप मीना पुत्र मिश्रया हि. 1/10, रज्जो पुत्री मिश्रया हि. 1/10 रामखिलाडी पुत्र भागल्या हि. 1/2 विशनी पुत्री मिश्रया हि. 1/10 सुनीता पुत्री मिश्रया हि. 1/10, समयसिंह पुत्र मिश्रया हि. 1/10 जाति मीना निवासी ओण्ड मीना तहसील महवा का नाम हजफ करने के अ देश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी वादग्रस्त के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज X मुबलिंग X खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर X को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी X तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.06.2024 को जारी की गई ।

दस्तखत 
उपस्थित अधिकारी
महवा जिला दौरे

मुई	रुपया	पैसा	मुांलय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान	4.00		मीजान		